



प्रेस नोट - थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक 20.10.2026

थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त व 01 अपचारी किशोर को मय चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.10.26 को वादी द्वारा थाना खुदागंज पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 254/2026 धारा 331(4)/305 बाबत अज्ञात चोरों द्वारा पंचायत घर के कमरे का कुण्डा व ताला तोड़कर 01 इन्वर्टर, 02 बैट्रा, 01 मॉनीटर, 01 की-बोर्ड चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 20.10.26 को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. अवधेश पुत्र मटरू, उम्र 24 वर्ष, 2. शिवम पुत्र राजवीर सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासीगण ग्राम चरखौला, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर 3. अपचारी किशोर को समय 12.05 बजे बजे ग्राम कोठा खेतल को जाने वाले रास्ते पर 400 मीटर आगे से 01 इन्वर्टर, 02 बैट्रा सहित गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त/अपचारी किशोर के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त/अपचारी किशोर का विवरण

1. अवधेश पुत्र मटरू, उम्र 24 वर्ष, नि0 ग्राम चरखौला, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर।
2. शिवम पुत्र राजवीर सिंह, उम्र 19 वर्ष, नि0 ग्राम चरखौला, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर।
3. अपचारी किशोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 254/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार/हिरासत में लेने का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 20.10.26 को समय 12.05 बजे, ग्राम कोठा खेतल को जाने वाले रास्ते पर 400 मीटर आगे से।

बरामदगी का विवरण

01 इन्वर्टर, 02 बैट्रा

गिरफ्तार/अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 श्री विक्रान्त

का0 लक्ष्मण राघव

का0 विकास गौतम

का0 गगन बालियान

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त/अपचारी किशोर से पूछताछ की गयी तो तीनों ने एक स्वर में बताया कि हमने ग्राम चरखौला के पंचायत घर से ताला तोड़कर 01 इनवेटर, 02 बैट्री, 01 की-बोर्ड व 01 मॉनीटर चोरी किया था और चोरी करने के बाद सुबह का समय हो गया था तो हमने सामान को धान के खेत में पुआल में छिपा दिया था। चोरी किये गये सामान में से हम तीनों ने मिलकर मॉनीटर व की-बोर्ड को चलत-फिरते कबाड़ी के हाथ बेच दिया था, उस कबाड़ी को हम लोग नहीं जानते हैं। सामान बेचकर मिले रुपये को हमने आपस में बाटकर खुदागंज में चल रही रामलीला में खर्च कर दिये थे, आज मौका पाकर हम इस बचे हुए सामान को किसी कबाड़ी को बेचने को जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया